वित्तीय स्वीकृति / राजस्व पक्ष

संख्याः ——— / XVII-5/2019-03(01)/2019

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांकः 13 जून, 2019

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक–2235 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2002 / सै.क. / बजट आवंटन / राजस्व / 2019– 20, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254 / 3(150)–2017 / XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं तत्कम में सैनिक कल्याण अनुभाग के शासनादेश संख्या–593 / XVII-5/2019-03(01)/2019, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यकम, 200–अन्य कार्यकम, 03–सैनिक कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल प्राविधानित धनराशि **रू0 3871.64 लाख (रू0 अड़तीस करोड़ इकहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)** के सापेक्ष मद संख्या–0307–वार–टू–सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान / एन्यूटी, 42–अन्य व्यय में रू0 275.00 लाख (रू0 दो करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) एवं मद संख्या–0309–उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन, 42–अन्य व्यय में रू0 573.60 लाख (रू0 पांच करोड़ त्रेहत्तर लाख साठ हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 848.60 लाख (रू0 आठ करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार मात्र) को संलग्न एलोटमेन्ट आई0डी0 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के संगत शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–234 / 3(150)–2017 / XXVII(1)/ 2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं सैनिक कल्याण अनुभाग के शासनादेश संख्या–593 / XVII-5/2019-03(01)/2019, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त मदों में वास्तविक आवश्यकता व मितव्ययता अपनाते हुए संगत नियमों / शासनादेशों के आलोक में ही धनराशि व्यय की जायेगी एवं प्रथम किश्त के उपयोगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

2. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशा0 संख्या–17(म0) / XXVII(3) / 2019, दिनांक 27 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S19060150004, S19060150005 दिनांक 10 जून, 2019 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 812 (1)/ XVII-5/2019-03(01)/2019 : तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।